प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फहीम घोसी पुत्र श्री रसीद, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-2599/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024), दिनांक-29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फहीम घोसी पुत्र श्री रसीद, जो ग्राम-स्टेट बैंक कालोनी के पीछे झोपड़ पट्टी नवीन गल्ला मण्डी सीतापुर रोड़, अलीगंज, थाना-अलीगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 422/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, लखनऊ के आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 22.09.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के थाना-अलीगंज का हिस्ट्रीशीटर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्व रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने व कारित अपराध के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फहीम घोसी पुत्र श्री रसीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी फहीम घोसी (बन्दी संख्या-454/2023) पुत्र श्री रसीद, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-719/2025/239(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-719/2025/239/22-2-2024-17(191)/2024

दिनांक 30 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फहीम घोसी पुत्र श्री रसीद, जो ग्राम-स्टेट बैंक कालोनी के पीछे झोपड़ पट्टी नवीन गल्ला मण्डी सीतापुर रोड़, अलीगंज, थाना-अलीगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 422/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, लखनऊ के आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी द्वारा दिनांक 22.09.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के थाना-अलीगंज का हिस्ट्रीशीटर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्व रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने व कारित अपराध के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि फलमण्डी में आढ़त की रंजिश को लेकर दिनांक 21.08.2009 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहों से गोली मारकर आले उमर उर्फ अली अहमद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 01 अन्य व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फहीम घोसी पुत्र श्री रसीद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in